मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 13.09.2025

थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का इनामिया तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 21.08.2025 को वादी प्रियंका पटेल पत्नी प्रदीप पटेल निवासिनी इमिलिया खुर्द थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित शिकायत दी गयी कि वादिनी का पति जारगो बांध पर घुमते गये थे, इस दौरान अभियुक्तों द्वारा बांध में डुबाकर मार दिया गया । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0-189/2025 धारा 103(1),109,115(2),3(5) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए घटना से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी अहरौरा को निर्देश दिये गये । पूर्व में घटना से सम्बन्धित 02 इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 13.09.2025 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से मु0अ0सं0-189/2025 धारा 103(1),109,115(2),3(5) बीएनएस से सम्बन्धित ₹ 25 हजार के इनामिया तीसरा अभियुक्त विनोद पाल उर्फ माधव पुत्र श्यामलाल पाल निवासी तेन्दुआ कला थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। थाना अहरौरा पुलिस द्वारा उक्त गिरफ्तारी के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0-189/2025 धारा 103(1),109,115(2),3(5) बीएनएस थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

विनोद पाल उर्फ माधव पुत्र श्यामलाल पाल निवासी तेन्दुआ कला थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उप निरीक्षक अमर नाथ यादव मय पुलिस टीम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

****